न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—11/2022 (2022/54) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कुशालचन्द पिता पेमा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—दयाराम पिता भुरा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—विष्णु पिता रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भूरीदेवी पत्नि रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मुन्नी देवी पुत्री रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—भगवती देवी पुत्री रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—रोशनी देवी पुत्री रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—प्यारा पिता हजारी कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—हिम्मत पिता शान्तिलाल कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—सीमा पुत्री शान्तिलाल कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—ममता पुत्री शान्तिलाल कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—पुष्पा पत्नि शान्तिलाल कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—मांगी बाई पत्नि मोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—प्रेमदेवी पुत्री मोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—पारसी पुत्री मोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—पप्पुदेवी पुत्री मोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—रमेश पिता केरिंग कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—राकेश पिता सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—सुरेश पिता सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—पिन्टु पिता सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—शान्ति पिता सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—चन्दा पुत्री सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—माया पुत्री सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्र सिंह — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—25.04.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 23 के एवं मृतका चान्दी पत्नि गंगाराम के वारीसान प्रार्थी संख्या 17 से 23 तक की है जिनके खातेदारी अधिकार एवं कब्जे [illegible] राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में [illegible] संख्या 164 में अकिंत आराजी संख्या 854 रकबा 0.57 है0 स्थित है। प्रमाण में [illegible] नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थीगण [illegible] आराजी में आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 916 रकबा [illegible] स्कूल मोखुन्दा [illegible] मोखुन्दा से खेमाणा मुख्य सड़क आराजी संख्या 915 से होकर वि[illegible] की आराजी संख्या [illegible] दक्षिणी पाली पर 25 फीट चोड़ा रास्ता है जो प्रार्थीगण की आराजी संख्या 854 में प्रवेश किया जाता है। उक्त रास्ता मौके पर निरन्तर चालु है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेतो में संज, बैल, बैलगाड़ी आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:35 IST
Reason: SelfAttested

लेकर जाते है व आवागमन कर फसल लाभ ले रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजुद नही है इसलिये प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आवागमन का रास्ता दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते को बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज करने बाबत् रास्ते के रूप में आयी भूमि की डीएलसी दर से जो राशि बनती है उसे विपक्षी को अदा करने को तैयार है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम मोखुन्दा की उक्त वर्णित आराजियात में विपक्षी की आराजी संख्या 916 रकबा 0.23 है0 की दक्षिणी पाली पर 25 फीट चोड़ा रास्ता सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज करवाये जाने का ओदश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम मोखुन्दा की आराजी संख्या 854 रकबा 0.57 है0 खातेदारान के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 854 पर वर्तमान में आराजी संख्या 916 रकबा 0.23 है0 गै.मु. मैदान (फुटबाल ग्राउन्ड स्कुल मोखुन्दा) की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे होकर आवागमन किया जा रहा है। मौके पर उक्त लाल स्याही से अकिंत रास्ता खुला हुआ है। मौके पर आराजी संख्या 854 में आवागमन का कोई अन्य रास्ता मौजुद नही है। प्रस्तावित रास्ते में आराजी संख्या 916 रकबा 0.23 है0 मे से 0.0420 है0 भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आती है। प्रार्थीगणो द्वारा रास्ते के रूप में चाही गई भूमि की डीएलसी दर 459727 रूपये प्रति हैक्टयर से 0.0420 है0 भूमि की कीमत 19310 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 38620 रूपये बनती है। वर्तमान में खातेदार जिस रास्ते से आवागमन चाहते है उसको लाल स्याही से अंकन किया गया है। नक्शे में लाल स्याही से अंकन रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगणो की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थीगण वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थीगण कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थीगणो की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 854 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 916 रकबा 0.23 है0 मे से रकबा 0.0420 है0 भूमि (आराजी संख्या 916 की दक्षिणी पाली के सहारे सहारे) जिसकी डीएससी दर 459727/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 19310/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 38620/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे [illegible] तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

25/04/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—11/2022 (2022/54) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कुशालचन्द पिता पेमा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—दयाराम पिता भुरा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—विष्णु पिता रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भूरीदेवी पत्नि रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मुन्नी देवी पुत्री रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—भगवती देवी पुत्री रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—रोशनी देवी पुत्री रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—प्यारा पिता हजारी कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—हिम्मत पिता शान्तिलाल कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—सीमा पुत्री शान्तिलाल कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—ममता पुत्री शान्तिलाल कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—पुष्पा पत्नि शान्तिलाल कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—मांगी बाई पत्नि मोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—प्रेमदेवी पुत्री मोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—पारसी पुत्री मोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—पप्पुदेवी पुत्री मोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—रमेश पिता केरिन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—राकेश पिता सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—राकेश पिता सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—पिन्टु पिता सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—शान्ति पिता सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—चन्दा पुत्री सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—माया पुत्री सोहन कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 854 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 916 रकबा 0.23 है0 मे से रकबा 0.0420 है0 भूमि (आराजी संख्या 916 की दक्षिणी पाली के सहारे सहारे) विपक्षी डीएलसी दर 459727/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 19310/—रूपये राशि बनती है जिसका दोगुना करने पर 38620/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को मुआवजा अदा कर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:35 IST
Reason: SelfAttested

हुक्मनामा आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

25.04.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा